

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उ०प्र०।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2014


विषय:- 'ग्रीन यू०पी० क्लीन यू०पी०' (Green UP Clean UP) अभियान का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के महानगरों /नगरों को हरित एवं स्वच्छ बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष पहल की गयी है तथा इसके लिये 'ग्रीन यू.पी. क्लीन यू.पी.' (Green UP Clean UP) के नाम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2014 को सम्पन्न बैठक में कतिपय निर्देश भी दिये गये हैं। तदनुसार इस अभियान के सशक्त क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जानी है:-

- (1) 'क्लीन यू०पी०-ग्रीन यू०पी०' को सशक्त रूप एवं समन्वित रूप से प्रवर्तित (Launch) किया जाय।
- (2) प्रत्येक महानगर /नगर में कम से कम एक मुख्य सड़क को लेकर उसे स्वच्छ एवं हरित (क्लीन एण्ड ग्रीन) बनाया जाये, जिससे अभियान की सफलता परिलक्षित हो।
- (3) विगत वर्षों की चिन्हित 'ग्रीन बेल्ट योजनाओं' को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाय तथा उनका अनुरक्षण किया जाय।
- (4) नागर निकायों की ग्रीन बेल्ट हेतु उपलब्ध भूमियों पर आगामी दो वर्षों हेतु 'ग्रीन बेल्ट योजना' का निरूपण किया जाय।
- (5) उ०प्र० में सड़कों के किनारे विशेषकर राजमार्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए इस अभियान को प्रारम्भ किया जाय।
- (6) पार्कों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभागों को 'क्लीन एवं ग्रीन' करने के निर्देश दिये जायें। शुरूआत सबसे खराब 25 पार्कों से की जा सकती है।
- (7) प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पालीथीन प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत संगत नियमावलियों, अधिसूचनाओं तथा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (8) उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम, जो इस अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक समझे जायें, यथा - प्रतियोगितायें, गोष्ठियाँ, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का भी आयोजन किया जाय।

- (9) अभियान का नियमित अनुश्रवण किया जाय तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वित किया जाय।
- (10) प्रदेश के नगरों में सड़कों के डिवाइडर्स के मध्य तथा फुटपाथों के किनारे विविध शोभादार पुष्पों के पौधे रोपित किए जाएं एवं पार्कों एवं ग्रीन बेल्ट हेतु उपलब्ध रिक्त भूमि को उक्त योजना से आच्छादित किया जाय। साथ ही नगरों में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाकर इन्हे 'ग्रीन यू.पी. क्लीन यू.पी.' हेतु आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाय। रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा एवं देख-रेख का दायित्व सम्बन्धित नगरीय निकाय का होगा।
2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जाये। निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा समेकित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।


भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2044(2)/9-7-2014-186(जनरल)/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र०, जल निगम, जल निगम।
6. निदेशक, सी०एण्ड०डी०एस०, उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ।
7. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग एवं गंगा सेल।
8. गार्ड बुक/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।